प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी **एसीबी, भीलवाड़ा– द्वितीय** थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष–2023
प्र. ई. रि. स. 129/2023 .... दिनांक 26/5/2023 ....
(अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये **7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018**
(ब) अधिनियम............ .... धारायें ....
(स) अधिनियम ....धारायें.......................................
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....513 समय.....6:10 P.M. ....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :– **गुरूवार, 25.05.2023 समय 01.05 पी.एम.**
(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक– **15.05.2023 समय. 01:30 पी.एम.**
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – **उत्तर–पूर्व बफासला करीब 15 कि.मी.**
(ब) पता – **खेडलिया, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा।**
बीट संख्या ....जरायमदेही सं...
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना............... ....जिला.......................................
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम – **श्री देवी सिंह राणावत**
(ब) पिता का नाम.... **श्री लाल सिंह राणावत**
(स) जन्म तिथि /वर्ष :–
(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथी..............................
जारी होने की जगह...
(र) व्यवसायः– खेती
(ल) पता– निवासी– **खेडलिया, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा।**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री लालाराम पिता श्री लक्ष्मीलाल कुमावत, उम्र–48 वर्ष, निवासी सरदार नगर, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा हाल भू अभिलेख निरीक्षक, महुआ खुर्द, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा।

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नही ...
चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 3,000/–. रिश्वत राशि
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो) 3,000/–. रिश्वत राशि
10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,

विषय :– कानूनी कार्यवाही बाबत्।

महोदय जी,

निवेदन है कि मैं देवीसिंह पिता लाल सिंह राणावत निवासी खेडलिया, थाना बनेडा, जिला भीलवाडा का निवासी हूँ, मेरी पुस्तैनी कृषि भूमि आराजी संख्या 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543 कुल 7 करीब 5.5 बिस्वा 1.5176 हैक्टर की पत्थरगढी बाबत एसडीएम कोर्ट बनेडा से दिनांक 03.06.2022 को पत्थरगढी का आदेश करवाया, जिसकी पालना मे तहसीलदार बनेडा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द को उक्त आदेश की पालना मे लिखा गया। मैं भू अभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द श्री लालाराम कुमावत से मिला, पर उन्होने मेरा कार्य नही किया। मैं 3–4 दिन पहले उनसे मिला तो उन्होने मेरे से 6000 रूपये रिश्वत की मांग की, मैने उन्हे 2000 रूपये उसी समय दे दिये थे। वो अब मेरे से 4000 रूपये पत्थरगढी करने के लिए रिश्वत के और मांग रहे है। मैं अब उन्हे और रिश्वत नही देना चाहता हूँ, और उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी भू अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द से कोई रंजिश नही है और ना ही कोई रूपयो का लेन देन बकाया है। उन्होने कहा कि आप दिनांक 17.05.2023 को आ जाना मैं आपको पडौसियो को सूचना करने का पत्र दे दूंगा, जिस पर आप पडौसियो को सूचित कर देना। उसके बाद आपकी पत्थरगढी कर देगे।

रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही करें।

दिनांक :– 15.05.2023

प्रार्थी

एस.डी. देवी सिंह राणावत
देवी सिंह पिता लालसिंह राणावत
निवासी खेडलिया, थाना बनेडा,
जिला भीलवाडा
मो 8769349802

पु.उ.अ. श्री शिव प्रकाश
रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करावें।
एसडी ब्रजराज सिंह 15.05.2023
एसडी आदित्य 25/05/2023
एस.डी विशाल 25/05/2023

<u>कार्यवाही पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय</u>

दिनांक 15.05.2023 समय 01.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक शिवप्रकाश को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ब्रजराज सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय ने परिवादी श्री देवी सिंह राणावत पिता श्री लाल सिंह राणावत निवासी खेडलिया, थाना बनेडा, जिला भीलवाडा द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट मुझ पुलिस उप अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही का पृष्ठाकंन कर मय परिवादी श्री देवी सिंह राणावत के सूपूर्द की। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री देवी सिंह राणावत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी को सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मुझ पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दरियाप्त की गई। परिवादी ने बताया कि मैं देवी सिंह पिता लाल सिंह राणावत निवासी खेडलिया, थाना बनेडा, जिला भीलवाडा का निवासी हूँ, मेरी पुस्तैनी कृषि भूमि आराजी संख्या 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543 कुल 7 करीब 5.5 बिस्वा 1.5176 हैक्टर की पत्थरगढी बाबत एसडीएम कोर्ट बनेडा से दिनांक 03.06.2022 को पत्थरगढी का आदेश करवाया, जिसकी पालना मे तहसीलदार बनेडा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द को उक्त आदेश की पालना मे लिखा गया। मैं भू अभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द श्री लालाराम कुमावत से मिला, पर

उन्होने मेरा कार्य नही किया। मैं 3–4 दिन पहले उनसे मिला तो उन्होने मेरे से 6000 रूपये रिश्वत की मांग की, मैंने उन्हे 2000 रूपये उसी समय दे दिये थे। वो अब मेरे से 4000 रूपये पत्थरगढी करने के लिए रिश्वत के और मांग रहे है। मैं अब उन्हे और रिश्वत नही देना चाहता हूँ, और उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी भू अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द से कोई रंजिश नही है और ना ही कोई रूपयो का लेन देन बकाया है। उन्होने कहा कि आप दिनांक 17.05.2023 को आ जाना मैं आपको पडौसियो को सूचना करने का पत्र दे दूंगा, जिस पर आप पडौसियो को सूचित कर देना, उसके बाद आपकी पत्थरगढी कर देगे। मजमुन रिपोर्ट व परिवादी से दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 के अन्तर्गत आना प्रथम दृष्टिया दृष्टि गोचर होता है। समय 02.10 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से कार्यालय के मालखाना से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व एक खाली मेमोरी कार्ड निकलवा कर प्राप्त किया गया। समय 02.15 पी.एम पर परिवादी श्री देवी सिंह राणावत को वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करना सिखाया। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मन्तव्य से अवगत कराया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मुझे कहा कि आप दिनांक 17.05.2023 को आ जाना मैं आपको पडौसियो को सूचना करने का पत्र दे दूंगा, जिस पर आप पडौसियो को सूचित कर सूचना पत्र वापस मुझे दे देना उसके बाद आपकी पत्थरगढी कर देंगे। इसलिए मैं दिनांक 17.05.2023 को उनसे सूचना पत्र लेने जाउंगा, यदि उस दिन वे कोई रिश्वत मांग करेगे तो मैं आपको सूचना कर दूंगा। जिस पर कार्यालय रामेश्वर लाल कानि को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया तथा परिवादी को रामेश्वर लाल व मुझ पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नंबर से अवगत कराया व परिवादी के मोबाईल नंबर भी रामेश्वर लाल कानि को बताये गये। परिवादी को अवगत कराया कि रामेश्वर लाल कानि मांग सत्यापन की कार्यवाही करायेगे। सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व खाली मेमोरी कार्ड को पुनः मालखाने मे सुरक्षित रखवाया गया। समय 02.45 पी.एम पर परिवादी श्री देवी सिंह राणावत को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 17.05.2023 समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री देवी सिंह राणावत कार्यालय मे उपस्थित आया। समय 11.15 ए.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से कार्यालय के मालखाना से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व खाली मेमोरी कार्ड निकलवा कर प्राप्त किया गया। समय 11.25 ए.एम पर श्री रामेश्वर लाल कानि को सरकारी वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर परिवादी श्री देवी सिंह राणावत के साथ रवाना कर निर्देशित किया कि आरोपी से सम्पर्क का प्रयास करें और यदि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करे तो मांग सत्यापन की नियमानुसार सत्यापन कार्यवाही करावे। समय 04.30 पी.एम पर रामेश्वर लाल कानि मय परिवादी के कार्यालय मे उपस्थित आया, रामेश्वर लाल कानि ने सरकारी वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी देवीसिह जी रवाना होकर बनेडा पहुँचे। वहाँ परिवादी को आरोपी की लोकेशन मालूमात करने के लिए पटवार भवन बनेडा की तरफ भेजा तो रास्ते में ही आरोपी श्री लालाराम कुमावत गिरदावर मिल गया जिसने कहा कि तुम पडौसियो को सुचना करने वाले सूचना पत्र ले जाओ और सूचित करके परसो मैं वही आउगॉ जो मुझे दे देना। अचानक आरोपी के रास्ते में मिल जाने से उक्त वार्ता रिकॉर्ड नही की जा सकी। तत्पश्चात परिवादी श्री देवी सिह से दरियाप्त की तो उसने भी उक्त तथ्यों की ताईद कीं। परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे आज कोई बातचीत नही हुई। रामेश्वर लाल कानि द्वारा पेश सरकारी वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड को मालखाने मे रखवाया। समय 5.00 पी.एम पर परिवादी श्री देवी सिह को दिनांक 19.05.2023 को प्रातः 10.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया। दिनांक 19.05.2023 समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री देवीसिंह राणावत कार्यालय मे उपस्थित आया। समय 11.15 ए.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से कार्यालय के मालखाना से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व खाली मेमोरी कार्ड निकलवा कर प्राप्त किया गया। समय 11.30 ए.एम पर रामेश्वर लाल कानि को सरकारी वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर परिवादी श्री देवी सिंह राणावत के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से खेडलिया, गोपालनगर की ओर रवाना कर निर्देशित किया कि आरोपी श्री लालाराम कुमावत से सम्पर्क का प्रयास करें और रिश्वत राशि मांग सत्यापन की नियमानुसार सत्यापन कार्यवाही करावे। समय 03.15 पी.एम पर रामेश्वर लाल कानि मय परिवादी के कार्यालय मे उपस्थित आया, रामेश्वर लाल कानि ने सरकारी वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी रवाना होकर खेडलिया पहुचे। परिवादी ने आरोपी से सर्म्पक कर आरोपी की लोकेशन मालुमात की तो श्री मुख्तयार खां निवासी भीलवाडा के गोपालपुरा स्थित खेत पर पत्थरगढी करना बताया व आरोपी ने परिवादी को वही बुलाया। जिस पर मैं व परिवादी खेडलिया से मोटरसाईकिल से रवाना होकर श्री मुख्तयार खां निवासी

भीलवाडा के गोपालपुरा स्थित खेत से कुछ दुरी पर पहुँचे, जहां दुर से कुछ लोग काम करते नजर आये परिवादी ने कहा कि यही पर पत्थरगढी का काम हो रहा है और आरोपी भी यही पर है। जिस पर मैने परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालुकर सिपूर्द कर आरोपी के पास रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु भेजा, मै वही पेड की छाया मे रूक गया। परिवादी उसकी मोटरसाईकिल लेकर आरोपी के पास गया और करीब 09 मिनिट बाद वापस मेरे पास आया और चालु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया, जिसे मैने प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने बताया कि मैं यहां से रवाना होकर आरोपी लालाराम कुमावत गिरदावर साहब से मिला, वे पत्थरगढी का काम कर रहे थे, जहॉ से मैने उन्हे थोडा एक तरफ बुला कर पडौसियो के सूचना पत्र का सूचित होने का हस्ताक्षर शुदा कागज उन्हे दे दिया, उन्होने 25.05.2023 को सुबह 11 बजे पत्थरगढी के लिए खेडलिया आना बताया तथा 4 हजार रूपये और रिश्वत के मांगे जिस पर मैने 3000 रूपये देना तय किया। उक्त वार्ता को मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं व परिवादी मोटरसाईकिल से गोपालपुरा खेडलिया से रवाना होकर चौकी पर आये। श्री रामेश्वर लाल कानि. के पश्चात परिवादी देवीसिह राणावत से दरियाप्त किया तो उसने भी रामेश्वर लाल कानिस्टेबल के द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की । तत्पश्चात रामेश्वर लाल कानि द्वारा पेश रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकॉर्ड शुदा वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने चालुकर सूना तो कानि रामेश्वर लाल व परिवादी देवी सिह द्वारा बताये तथ्यो की पुष्टि हुई, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता के मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना मे सुरक्षित रखवाया गया। समय 04.15 पी.एम पर परिवादी श्री देवीसिह राणावत को दिनांक 25.05.2023 को प्रातः 8.30 बजे कार्यालय मे मय रिश्वत राशि 3000 रूपये के उपस्थित होने के लिए पाबन्द कर आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 24.05.2023 समय 10.15 ए.एम पर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही दिनांक 25.05.2023 को होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से अधीक्षण अभियन्ता, एवीवीएनएल भीलवाडा के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह को दिनांक 25.05.2023 को प्रातः 08.00 ए.एम पर इस कार्यालय मे तलबी हेतु कानि श्री शिवराज कानि को रवाना कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, एवीवीएनएल भीलवाडा किया। समय 11.10 ए.एम पर कानि श्री शिवराज कानि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, एवीवीएनएल भीलवाडा से उपस्थित आया व बताया कि स्वतन्त्र गवाहान श्री आदित्य माहेश्वरी कनिष्ठ लेखाकार व श्री विशाल शर्मा, वाणिज्य सहायक को दिनांक 25.05.2023 को प्रातः 8.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पांबन्द कर आया हूँ। समय 11.15 ए.एम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाडा–द्वितीय को श्री प्रहलाद हैड कानि, ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा–प्रथम को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु सहायतार्थ चौकी भीलवाडा–द्वितीय पर तलब करने हेतु निवेदन किया। दिनांक 25.05.2023 समय 08.00 ए.एम पर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, एवीवीएनएल भीलवाडा से गवाह श्री आदित्य माहेश्वरी कनिष्ठ लेखाकार व श्री विशाल शर्मा वाणिज्य सहायक उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया व कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 08.10 ए.एम पर भ्र.नि.ब्यूरो चौकी भीलवाडा–प्रथम से श्री प्रहलाद हैड कानि कार्यालय पर उपस्थित आया, जिसे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 08.15 ए.एम पर परिवादी श्री देवीसिह राणावत कार्यालय पर उपस्थित आये, जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 08.20 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित सुदा स्वतंत्र गवाह श्री आदित्य माहेश्वरी कनिष्ठ लेखाकार व श्री विशाल शर्मा वाणिज्य सहायक को बुलाने के प्रयोजन से अवगत करवाया। परिवादी श्री देवी सिह राणावत की रिपोर्ट को दोनों गवाहान को पढकर सुनाया एवं पढाया गया। कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.05.2023 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से निकलवा कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता दिनांक 19.05.2023 को चालुकर सुनाया गया, गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझकर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर परिवादीगण व गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.05.2023 के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। समय 9.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्दा परिवादी श्री देवी सिंह राणावत पिता श्री लालसिंह राणावत निवासी खेडलिया, थाना बनेडा, जिला भीलवाडा को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री देवी सिंह राणावत ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 6 नोट कुल 3,000 रूपये

प्रस्तुत किये ,नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द गें अंकित करवाया गया, तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह कनिष्ठ सहायक से निकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर श्री विनय प्रताप सिंह से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री देवी सिंह राणावत की जामा तलाशी गवाह श्री विशाल शर्मा हाल–वाणिज्यक सहायक, कार्यालय अधीशाषी अभियंता (ग्रामीण), अ.वि.वि.नि.लि.–भीलवाडा से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री विनय प्रताप सिंह से परिवादी की पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात श्री रामेश्वर लाल कानि. 250 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरियान को दिखाया गया तो हाजरियान ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री विनय प्रताप सिंह की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् पुलिस उप अधीक्षक ने हाजरियान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर को रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री विनय प्रताप सिंह से कार्यालय से बाहर फिंकवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री रामेश्वर लाल कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.30 ए.एम पर मन् शिवप्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय श्री महेन्द्र कुमार कानि, श्री प्रेमराज कानि प्राईवेट वाहन से तथा श्री गोपाल जोशी हैड कानि, श्री रामेश्वर लाल कानि को रामेश्वर लाल की मोटरसाईकिल से तथा परिवादी श्री देवी सिह राणावत, श्री शिवराज कानि को परिवादी की मोटरसाईकिल से तथा श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री आदित्य माहेश्वरी कनिष्ठ लेखाकार व श्री विशाल शर्मा वाणिज्य सहायक मय श्री अशोक कुमार कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री विनोद कानि. मय ट्रेप बॉक्स व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमारी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री साथ लेकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु खेडलिया की ओर रवाना हुआ। समय 11.30 ए.एम पर मन् शिवप्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवानाशुद्वा खेडलिया गॉव के पास पहुॅचा। समय 11.32 ए.एम पर परिवादी श्री देवी सिंह राणावत के फोन से आरोपी के फोन पर कॉल करवा कर खेडलिया आने के बारे मे वार्ता करवायी तो आरोपी ने आधे घंटे बाद खेडलिया पटवार भवन पर पहुॅचने के लिए परिवादी को बताया। समय 12.30 पी.एम पर परिवादी श्री देवी सिंह राणावत को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूर्द कर पटवार भवन खेडलिया के लिए स्वयं की मोटरसाईकिल से आरोपी से वार्ता के लिए रवाना किया गया। समय 12.32 पी.एम पर गोपाल जोशी हैडकानि, श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री शिवराज सिंह कानि को मोटरसाईकिल पर परिवादी के पीछे–पीछे आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया, मन् पुलिस उप अधीक्षक मय शेष हमराहीयान के खेडलिया उप स्वास्थ्य केन्द्र के पास सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहकर परिवादी को दूर से देखते रहे जहां परिवादी पूर्व मे पटवार भवन गया कुछ रूककर फिर एक किराणा की दुकान पर एक व्यक्ति से बात करता हुआ दूर से नजर आया, थोडी देर बाद परिवादी अपने बाडे की तरफ गया, पीछे पीछे वह व्यकित भी स्कूटी से बाडे की और जाता नजर आया व पीछे पीछे गोपाल जोशी हैडकानि, श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री शिवराज सिंह कानि भी जाते नजर आये। समय 01.05 पी.एम. पर परिवादी श्री देवी सिंह

राणावत पिता श्री लाल सिंह राणावत निवासी खेडलिया, तहसील–बनेडा, जिला भीलवाडा ने अपने मकान ग्राम खेडलिया, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा के पीछे बाडे (चौक) मे से निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया, जिसे कानि श्री रामेश्वर लाल ने देखकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सूचित किया, जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो उक्त गवाह मय ट्रेप पार्टी सदस्य प्रहलाद कुमार हैडकानि., श्री प्रेमराज कानि. 225, श्री अशोक कुमार कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो संख्या RJ-14-UC-8657 मय चालक श्री विनोद कुमार 378 मय प्राईवेट वाहन के मकान श्री देवी सिंह राणावत के पीछे स्थित बाडे के बाहर पहुँचा, जहॉ श्री गोपाल जोशी हैड कानि. 65, श्री शिवराज सिंह कानि मकान के पीछे बाडे के बाहर मौजुद मिले, जिन्हे हमरा ले परिवादी के मकान के पीछे स्थित बाडे के गेट पर लगी लोहे की फाटक से अन्दर प्रवेश किया तो बाडे मे नीम के पेड के नीचे कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ व परिवादी उसके पास खडा हुआ नजर आया। मकान के अन्दर से पीछे की तरफ से श्री रामेश्वर लाल कानि 250 भी उपस्थित आया। वाहनो को बाडे मे खडी कर सरकारी वाहन चालक को वाहन के पास छोडकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के पास पहुँचा। जहॉ परिवादी श्री देवी सिंह राणावत ने चालू डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के पेश किया, जिसे मन पुलिस उप अधीक्षक ने लेकर बंद किया। इसके पश्चात परिवादी श्री देवी सिंह राणावत ने कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की और ईशारा करते हुए बताया कि यही श्री लालाराम जी गिरदावर साहब है, जिनको मैने सिपूर्द शुद्वा रिश्वत राशि 3000 रूपये दी है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री लालाराम पिता श्री लक्ष्मीलाल कुमावत, उम्र–48 वर्ष, निवासी सरदार नगर, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा हाल भू अभिलेख निरीक्षक, महुआ खुर्द, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा होना बताया। मन पुलिस उप अधीक्षक ने पास ही खडे परिवादी श्री देवी सिंह राणावत की ओर ईशारा कर पूछा कि आपने परिवादी श्री देवी सिंह राणावत की ग्राम खेडलिया मे स्थित कृर्षि भूमि की पत्थरगढी करने के एसडीएम व तहसीलदार बनेडा के आदेश की पालना मे परिवादी से पत्थरगढी करने की एवंज मे 6000 रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर परिवादी ने 2000 रूपये उसी समय आपको दे दिये, दिनांक 19.05.2023 को आप द्वारा 4000 रूपये पत्थरगढी करने के लिए रिश्वत की और मांग की गई, जिस पर परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर 3000 रूपये लेने के लिए सहमत हुए, आप द्वारा दिनांक 19.05.2023 को 3000 रूपये रिश्वत राशि मांग के अनुसरण मे अभी–अभी 3000 रूपये रिश्वत के रूप में परिवादी से प्राप्त किये है क्या ? जिस पर श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि मैने कोई रिश्वत की मांग नही की देवी सिंह जी ने अपनी खुशी से 3000 रूपये मुझे दिये है, जो मैने लेकर मेरी पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रख दिये, जो अभी भी मेरी जेब में ही पडे है। इसके पश्चात पास ही खडे परिवादी श्री देवी सिंह राणावत ने स्वतः ही आरोपी की उक्त बात का खण्डन करते हुये बताया कि गिरदावर साहब झूठ बोल रहे है। इन्होने कई लम्बे समय से मेरी पत्थरगढी के काम को जानबुझकर रोक रखा था, और मेरे द्वारा कई बार मिलने पर भी पत्थरगढी का कार्य नही किया। करीब 15 रोज पहले मेरे द्वारा गिरदावर साहब से बनेडा इनके कार्यालय मे मिलने पर इन्होने मेरे से 6000 रूपये रिश्वत के मांगे जो 2000 रूपये मैने उसी समय इनको दे दिये, फिर दिनांक 19.05.2023 को मैं पुनः इनसे मिला तो इन्होने 4000 रूपये की और मांग की मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 3000 रूपये लेने को राजी हुई। इनकी मांग के अनुसार पत्थरगढी का कार्य करने के लिए ही मैने इनको अभी अभी 3000 रूपये दिये है। जिस पर जिस पर पुनः आरोपी को परिवादी के उक्त तथ्यो के बारे मे पूछा तो आरोपी ने कुछ नही बताया व मौन हो गया। आरोपी श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का पर्याप्त संदेह होने पर परिवादी के रिहायशी मकान मे रखी पानी की मटकी मे से श्री गोपाल जोशी हैड कानि से साफ पानी मंगाया जाकर एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद कुमार हैडकानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुॅलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे दाहिने हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क RH 1, RH 2 अंकित किये गये, चिट व कपड़े पर संबधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् अन्य कॉच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद

कुमार हैडकानि से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक के बॉये हाथ की अंगुॅलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो बॉये हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे बॉये हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवाकर सिल–चिट करवा कर मार्क LH 1, LH 2 अंकित किये गये, चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात आरोपी श्री लालाराम कुमावत, भू अभिलेख निरीक्षक की तलाशी गवाह श्री विशाल शर्मा से लिवाई गई तो गवाह श्री विशाल शर्मा ने श्री लालाराम कुमावत, भू अभिलेख निरीक्षक की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब से कुछ रूपये निकाल कर पेश किये। उक्त नोटो को गिनने की कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिन कर 500–500 रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रू. होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाह द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू–ब–हू होना बताया।

1.	500 रूपये का एक नोट	9NL	328405
2.	500 रूपये का एक नोट	9NL	328406
3.	500 रूपये का एक नोट	9NL	328407
4.	500 रूपये का एक नोट	9NL	328408
5.	500 रूपये का एक नोट	9NL	328409
6.	500 रूपये का एक नोट	9NL	328410

उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क "N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। इसके पश्चात कानि. श्री रामेश्वर लाल 250 से अन्य पेन्ट मंगवाकर श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक की पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाकर मंगवायी हुई पेन्ट पहनाई, इसके पश्चात एक अन्य साफ कांच की गिलास में साफ–पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद कुमार हैडकानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर गिलास के मिश्रण को रंगहीन होना स्वीकार किया। श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक की पेन्ट की सामने की बायी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई बरंग काली की सामने की बांयी जेब को उलट कर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के उक्त रंगहीन मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर उनके द्वारा धोवण के मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार करने पर उक्त धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क P-1, P-2 अंकित किये जाकर चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक की उक्त पेंट की सामने की बांयी जेब को सुखाकर पेंट की सामने की बांयी जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करा कर उक्त पेंट को सफेद कपड़े की थेली में रखकर सीलचिट कर मार्क–P अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी ली गई। तत्पश्चात आरोपी श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक को परिवादी श्री देवी सिंह राणावत पत्थरगढी से संबधित दस्तावेज के बारे पूछने पर आरोपी श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक ने परिवादी के पत्थरगढी से संबधित दस्तावेज बनेडा स्थित स्वयं के कार्यालय मे होना बताया, जिसे आईन्दा कब्जे एसीबी लिया जायेगा। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक को परिवादी श्री देवी सिंह राणावत द्वारा पूर्व मे इमरोज रिश्वत राशि लेनदेन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाह एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री देवी सिंह राणावत व आरोपी श्री लालाराम कुमावत हाल भू अभिलेख निरीक्षक के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैनड्राईव अकब से तैयार करवायी जायेगी। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री लालाराम पिता श्री लक्ष्मीलाल कुमावत, उम्र–48 वर्ष, निवासी सरदार नगर, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा हाल भू अभिलेख निरीक्षक, महुआ खुर्द, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा द्वारा परिवादी श्री देवी सिंह राणावत के ग्राम खेडलिया स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 536, 537,

539, 540, 541, 542, 543 कुल किता 7 रकबा 1.5176 हैक्टर के एसडीएम बनेडा के दिनांक 03.06.2022 व तहसीलदार बनेडा के दिनांक 17.04.2023 के आदेश की पालना मे भू अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द श्री लाला राम कुमावत द्वारा 6000 रूपये रिश्वत की मांग की जिस पर परिवादी ने 2000 रूपये तत्समय आरोपी को दे दिये, आरोपी द्वारा 4000 रूपये रिश्वत की और मांग की जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 15.05.2023 को ब्यूरो मे की, जिस पर दिनांक 19.05.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 2000 रूपये पूर्व मे प्राप्त हो जाना स्वीकार कर 4000 रूपये रिश्वत की और मांग आरोपी द्वारा की, परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर 3000 रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ, उक्त मांग के अनुसरण मे दिनांक 25.05.2023 को 3000 रूपये रिश्वत राशि आरोपी द्वारा अपने हाथो से ग्रहण पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि 3,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया जाता हैं। समय 03.15 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री लालाराम पिता श्री लक्ष्मीलाल कुमावत, उम्र–48 वर्ष, निवासी सरदार नगर, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा हाल भू अभिलेख निरीक्षक, महुआ खुर्द, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 03.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से ग्राम खेडलिया मे स्थित श्री देवीसिंह राणावत के बाडे मे जहां रिश्वत राशि लेन देन हुआ उस स्थल का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 03.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी मय आरोपी लालाराम मय जाप्ता मय जप्तशुद्वा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय सामग्री मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के व कानि अशोक कुमार को आरोपी की स्कूटी के ग्राम खेडलिया से रवाना भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय बनेडा हुआ। समय 04.00 पी.एम पर फिगरा उपरोक्त का रवानाशुद्वा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय बनेडा पहुँचा। समय 04.05 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाह व परिवादी के समक्ष आरोपी लालाराम कुमावत ने अपनी स्कूटी मे रखी कार्यालय की चाबी से अपने कार्यालय का ताला खोलकर परिवादी के पत्थरगढी संबधित दस्तावेज कुल किता 5 पेश कियें जिस पर संबधितो के हस्ताक्षर करवा शामिल रनिग नोट किये गये। इसी दौरान आरोपी का पुत्र श्री सुर्य प्रकाश कुमावत उपस्थित आया, जिसे आरोपी के कहे अनुसार उसकी स्कूटी व कार्यालय की चाबी सिपूर्द की गई। समय 04.20 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी मय आरोपी श्री लालाराम मय जाप्ता मय जप्तशुद्वा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय सामग्री मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय बनेडा से रवाना हो समय 04.55 पी.एम पर एसीबी चौकी भीलवाडा उपस्थित आया। समय 05.05 पी.एम पर कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.05.2023 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैडकानि से निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.05.2023 बरूबरू परिवादी श्री देवी सिंह राणावत व आरोपी श्री लालाराम कुमावत के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अशोक कुमार कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.30 पी.एम पर रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 25.05.2023 बरूबरू परिवादी श्री देवीसिंह राणावत व आरोपी श्री लालाराम कुमावत के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अशोक कुमार कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.20 पी.एम पर श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री शिवराज सिंह कानि मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री विनोद कुमार को पी.एम.ओ. महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा व थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी श्री लालाराम का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना सुभाषनगर में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 08.30 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.05.2023 व रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 25.05.2023 मे परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्डस मे दर्ज शुदा दोनो वार्ताओ को 4 पैन ड्राईव में श्री अशोक कुमार कानि से कॉपी करवा तीन पैन ड्राईव को पृथक–पृथक कागज के लिफाफे मे रख सफेद कपडे की थैली में रखकर सील चिट कर मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पैन

ड्राईव A-4 को कागज के लिफाफे मे रखकर चिट बंद कर अनुसंधान अधिकारी के लिए रखा गया। समय 09.30 पी.एम पर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.05.2023 व लेन–देन वार्ता दिनांक 25.05.2023 मे परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्डस नंग 2 को सफेद पृथक–पृथक कागज में लपेटकर कागज के लिफाफे मे रख सफेद कपडे की थैली में रख मार्क M अंकित कर सिल चिटकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 10.05 पी.एम पर श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री शिवराज सिंह कानि मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री विनोद कुमार को पी.एम.ओ. महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा पहुँच स्वास्थ्य परीक्षण करवा रवाना हो पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा पहुँच आरोपी श्री लालाराम को सुरक्षार्थ जमा करवा रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 10.10 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास–सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.30 पी.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 3,000 रूपये मार्क N सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, P-1, P-2 आरोपी श्री लालाराम कुमावत की पहनी हुई पेंट मार्क–P सिल्डचिट शुदा, तीन पैन ड्राईव सफेद पृथक–पृथक कपडे की थैली में सिल्डचिट मार्क A-1, A-2, A-3 व अनुसंधान अधिकारी का कागज के लिफाफे मे रखा चिट बंद पैन ड्राईव मार्क–A-4 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क–M इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 11.00 पी.एम पर पैन ड्राईव बनाने के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख का प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.15 पी.एम पर परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान व श्री प्रहलाद हैडकानि को हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 11.30 पी.एम पर आरोपी श्री लालाराम कुमावत, हाल भू अभिलेख निरीक्षक, महुआ खुर्द, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा के विरूद्ध जे.सी. रिमाण्ड मूर्तिब कर संलग्न पत्रावली किया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री लालाराम कुमावत, भू अभिलेख निरीक्षक, महुआ खुर्द, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा द्वारा परिवादी श्री देवी सिंह राणावत के ग्राम खेडलिया स्थित कृर्षि भूमि आराजी संख्या 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543 कुल 7 करीब 5.5 बिस्वा 1.5176 हैक्टर के एसडीएम बनेडा के दिनांक 03.06.2022 व तहसीलदार बनेडा के दिनांक 17.04.2023 के आदेश की पालना मे भू अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द श्री लाला राम कुमावत द्वारा 6,000 रूपये रिश्वत की मांग की जिस पर परिवादी ने 2,000 रूपये तत्समय आरोपी को दे दिये, आरोपी द्वारा 4000 रूपये रिश्वत की और मांग की जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 15.05.2023 को ब्यूरो मे की, दिनांक 19.05.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी लालाराम द्वारा 2000 रूपये पूर्व मे प्राप्त हो जाना स्वीकार कर 4,000 रूपये रिश्वत की और मांग की, परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर 3,000 रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ, उक्त मांग के अनुसरण मे दिनांक 25.05.2023 को 3,000 रूपये रिश्वत राशि परिवादी से आरोपी द्वारा अपने हाथो से ग्रहण पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि 3,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध का प्रमाणित पाया जाता हैं।

अतः आरोपी श्री लालाराम पिता श्री लक्ष्मीलाल कुमावत, उम्र–48 वर्ष, निवासी सरदार नगर, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा हाल भू अभिलेख निरीक्षक, महुआ खुर्द, तहसील–बनेडा, जिला–भीलवाडा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते कमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा–द्वितीय।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिवप्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लालाराम कुमावत पुत्र श्री लक्ष्मीलाल कुमावत, भू-अभिलेख निरीक्षक, महुआ खुर्द, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 129/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26/5/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 976-79 दिनांक 26.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. जिला कलक्टर भीलवाड़ा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।

26/5/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर